FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0047 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/03/2024 20:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 21/03/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:58 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/03/2024 **Time (समय):** 19:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/03/2024 20:27:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 3 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Police Station Mahila Bikaner

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Irfan Panwar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Rafeek Mohmmd

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Ridmalsa, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Ridmalsa, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9928420318

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANITA BISHNOI		पिता:Omprakesh Bishoni	1. Gram Nimbdiyasar,Post Himmtsar,NOKHA,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 19.03.2024 को परिवादी श्री इरफान पंवार पुत्र श्री रफीक मोहम्मद निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर ने श्री महावीर प्रसाद शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो एसयू बीकानेर के समक्ष लिखित रिपोर्ट इस आषय की प्रस्तुत की कि सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर, विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त निवेदन है कि मै इरफान पंवार पुत्र श्री रफीक मोहम्मद निवासी रिडमलसर जिला बीकानेर का निवासी हूं। मैने लव मैरिज कर रखी है। मैं गुजरात की कम्पनी की गाडी चलाता हूं। दिनांक 16.01.2024 को मैं प्रातः 10 बजे में काम पर चला गया तथा मेरी पत्नी श्रीमती सुमन अपने पीहर तिलक नगर चली गई थी। दूसरे दिन मैं मेरी पत्नी को उसके पीहर से लाने हेतु तिलक नगर गया तब मेरी पत्नी के भाई ने मेरे साथ मारपीट की थी। तब मे वापस मेरे घर आ गया। उसके बाद मेरी पत्नी ने मेरे विरूद्ध महिला थाने में प्रकरण संख्या 44 दिनांक 04.02.2024 धारा 498ए, 406, 323, 376, 511 भादस में दर्ज करवा दिया। मेरे पास करीब 8-10 दिन पहले मोबाईल नम्बर 9414537612 से मेरे मोबाईल नम्बर 9928420318 पर कोल आया तथा मेरे से कहा मै राजेश महिला थाने से बोल रही हू, आपके विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज हो रखा है आप थाने पर आओं । तब मेने कहा कि मै बाडमेर आया हुआ हूं । तब राजेश ने कहा आपके भाई सौफिन को थाने पर भेज दे तब मैने कहा मै भेज रहा हू। उसके बाद दिनांक 14.02.2024 मैं मेरा भाई सौफिन व मेरी माताजी तथा मेरे मौसी का लडका साहिल महिला पुलिस थाने पर गये थे। वहां पर हमें राजेश सीआई साहब मिली। उन्होने मेरे से बातचीत कर कहा कि आप अपने अन्य परिवार वालों को भी बुला लो । तब मैने मेरे परिवार वालों को भी थाने पर बुला लिया। उसके बाद राजेश सीआई साहब के रीडर का काम करने वाली अनिता महिला कोनस्टेबल ने हमारे सभी के बयान लिये। उसके बाद अनिता ने मेरे भाई सौफिन को एक तरफ ले जाकर उससे कहा कि सभी का नाम निकाल देगे केवल आपके भाई(इरफान) एक को ही मुल्जिम रखुगी, आप 50 हजार रूपये राजेश सीआई को देने होगे। तब मेरे भाई ने कहा कि मेरे पास 50 हजार रूपये नहीं है। मै गरीब आदमी हूं मै केवल 15000 रू की व्यवस्था कर सकता हूं। यह कह कर हम सभी घर पर आ गये। उसी दिन अनिता महिला कोनस्टेबल ने मेरे भाई, भाभी को फोन कर धमकी देने लग गई। उसके बाद दिनांक 18.03.2024 को मैं, मेरी पत्नी को लेकर महिला थाने पर गया। तब वहा पर हमें अनिता महिला कोनिस्टेबल मिली। उससे मेरी पत्नी ने कहा कि हमारे राजीनामा हो गया है और मैं एफआईआर वापस उठाना चाहती हूं। तब अनिता ने कहा कि ऐसे कोई एफआईआर उठती है क्या, मैं सीआई मैडम को पूछ कर आती हू। उसके बाद अनिता, सीआई मैडम से पूछ कर आई तथा मुझे एक तरफ ले जाकर अनिता ने कहा सीआई मैडम 25000 रू मांग रही है। इसलिए आप सीआई मैडम एफआईआर उठाने के बदले में 25000 रू दे दो। नहीं तो सीआई मैडम आपके विरूद्ध चालान पेश करेगी तब मैने कहा कि मेरे पास 25000 रू नहीं है। मैं गरीब आदमी हूं, कुछ कम करो। तब अनिता ने कहा इससे सीआई मैडम मानेगी नहीं। मैने कहा इतने रूपये मेरे पास नंही है यह कह कर मैं मेरे घर आ गया तथा मेरी पत्नी अपने घर चली गई। मै वापस थाने पर जाउंगा तो मेरे से राजेश सीआई मैडम व अनिता कोनस्टेबल रिश्वत जरूर मांगेगी। मैं सीआई मैडम राजेश व अनिता कोन्सटेबल को रिश्वत नहीं देना चाहता उनको रिश्वत लेते हुए पकड वाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करे। प्रार्थी एसडी इरफान पंवार पुत्र श्री रफीक मोहम्मद। परिवादी ने उसके विरूद्ध महिला पुलिस थाना बीकानेर में दर्ज प्रकरण संख्या 44 दिनांक 04.02.2024 की स्व प्रमाणित प्रति पेश की जिसे शामिल रंनिग नोट की गई। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरी पुर्व से सीआई मैडम राजेश व अनिता महिला कानिस्टेबल से कोई रंजिश नही है ना हीं पहले से रूपयो का उधार लेन देन है। परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन व दरियाफ्त मजीद से मामला पीसी एक्ट की परिधि मे आना पाया जाने पर परिवादी श्री इरफान पंवार को रिश्वत मांग सत्यापन की प्रक्रिया बाबत बताने पर बताया कि अभी मै महिला पुलिस थाना जाकर अनिता महिला कानिस्टेबल से वार्ता कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। परिवादी ने यह भी बताया कि अनिता महिला कानिस्टेबल रिश्वती राशि अपने हाथ पर लिखकर मांग करेगी। जिस पर श्री कन्हैयालाल कानि 312 को अपने कक्ष में बुलाकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय नया मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी श्री इरफान पंवार व श्री कन्हैयालाल कानि का आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से श्री कन्हैयालाल कानि को अवगत करवाया गया। डिजीटल वाईस रिकोर्डर के संचालन की विधि परिवादी श्री इरफान को समझाई गई। दिनांक 19.03.2024 वक्त 02.35 पी.एम पर डिजीटल वाईस रिकोर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर मैमोरी

कार्ड का खाली होना सुनिश्चित कर श्री कन्हैयालाल कानि को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु रवाना करने से पूर्व परिवादी श्री इरफान पंवार को डिजीटल वाईस रिकोर्डर चालू करके देवे। परिवादी श्री इरफान पंवार व श्री कन्हैयालाल कानि को हिदायत मुनासिब कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु महिला पुलिस थाना बीकानेर के लिए रवाना किया गया। वक्त 04.00 पी.एम पर श्री कन्हैयालाल कानि, परिवादी श्री इरफान मय डिजिटल वाईस रिकोर्डर के उपस्थित आये। श्री कन्हैयालाल कानि ने डिजीटल वाईस रिकोर्डर पेश कर बताया कि हम दोनो ब्यूरो कार्यालय से अपनी अपनी मोटर साईकिल से रवाना होकर महिला पुलिस थाना बीकानेर से थोडा पहले नागणेची मंदिर से थोडा आगे पहुचे तथा मैंने डिजीटल वाईस रिकोर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु महिला पुलिस थाना की तरफ रवाना किया। मैं महिला पुलिस थाने के आस पास मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री इरफान मेरे पास आया जिस पर मैंने डिजीटल वाईस रिकोर्डर लेकर बंद करके मेरे पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि अनिता महिला कानिस्टेबल मुझे थाने में मिली जिनसे मेरी मेरे कार्य के संबंध में वार्ता हो गई, उन्होने मेरे से 20,000 रू. रिश्वत राशि की मांग की। उसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे। परिवादी श्री इरफान ने श्री कन्हैयालाल कानि के कथन की ताईद करते हुए बताया कि हम दोनो यहां से रवाना होकर नागणेची मंदिर से आगे महिला पुलिस थाना से थोडा पहले जाकर रूके और कन्हैयालाल कानि ने मुझे डिजिटल वाईस रिकोर्डर चालुकर सुपुर्द कर महिला पुलिस थाने की तरफ रवाना किया। मैं महिला थाने में गया, तब थाने में अनिता महिला कानि मुझे मिली। मैने उनसे मेरे कार्य के संबंध में बातचीत की तब अनिता ने मेरे से मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मेरे अलावा अन्य सभी का नाम निकालने की एवज में 20,000 रू रिश्वती राशि की मांग की है। मैने उनसे कहा बीस हजार रूपये्, तब उनके द्वारा सहमती देते हुए एक घंटे के अंदर ही रिश्वती राशि लेकर मुझे बुलाया है। मैने मेरे व अनिता के मध्य हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में रिकोर्ड किया है। मैनें अनिता से बात करके श्री कन्हैयालाल कानि के पास आकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर सुपुर्द किया तो इन्होने डिजीटल वाईस रिकोर्डर बन्द करके अपने पास रख लिया तथा हम दोनों वहां रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे। परिवादी ने बताया कि आज मेरे पास 20000 रू रिश्वत राशि नहीं है, कल तक मै मेरे किसी परिचित से उधार लेकर व्यवस्था कर सकता हूं। परिवादी श्री इरफान पंवार व श्री कन्हैयालाल कानि के समक्ष डिजीटल वाईस रिकोर्डर को कार्यालय लैपटोप की सहायता से चलाकर सुना गया परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की पुष्टि हुई तथा आरोपिया द्वारा आज ही एक घंटे में रिश्वती राशि लेकर परिवादी को बुलाया है किन्तु परिवादी के पास रिश्वत राशि नहीं होने के कारण आज ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकती। दिनांक 19.03.2024 वक्त 04.30 पी.एम पर परिवादी श्री इरफान पंवार व अनिता महिला कानि के मध्य दिनांक 19.03.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, जो डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमारी कार्ड रिकोर्डर को परिवादी श्री इरफान पंवार व श्री कन्हैयालाल कानि के समक्ष कार्यालय के कम्पयूटर से कनेक्ट कर वार्ता को सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाई गई। डिजीटल वाईस रिकोर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दो पेन ड्राईव कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किये गये। दोनों पेन ड्राईव मे से एक पेन ड्राईव को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये व एक पेन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। उक्त डिजिटल वाईस रिकोर्डर में स्थापित मूल मैमोरी कार्ड को निकाल कर उसको सैफ्टी कवर में डालकर सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलमोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को रिष्वती राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 20.03.2024 को परिवादी श्री इरफान पंवार ने उपस्थित होकर बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नहीं हो पायी है, रिश्वती राशि की व्यवस्था होने पर मैं कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। दिनांक 21.03.2024 को वक्त 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री इरफान पंवार कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को बताया रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रू. की व्यवस्था हो गई हैं, मैं रिश्वती राशि 20000 रू अपने साथ लेकर आया हूं जो मेरे पास है। जिस पर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर के नाम तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 482 को रवाना किया। कुछ समय बाद श्री योगेन्द्रसिंह कानि. 482 गवाह श्री बीरबलराम कुमावत सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री मनोज कुमार मूण्ड कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर को लेकर उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान को गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप शामिल रहने बाबत पूछने पर दोनों ने अपनी सहमति दी । जिस पर उक्त दोनों गवाहान का परिवादी श्री इरफान पंवार से आपसी परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य व रिश्वत राषि मांग सत्यापन के तथ्य बताये गये। दिनांक 21.03.2024 वक्त 11.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देष पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री इरफान पंवार द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20000- भारतीय मुद्रा के पेश किये गये, जिनके नम्बर आदि विवरण फर्द में अंकित किये जाकर उक्त सभी नोटो को अखबार के कागज पर रखवाकर श्री यजवेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर बाद जामा तलाशी परिवादी की शर्ट की सामने की उपर की बांयी जेब में रखवाये। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट का दृष्टांत दिया जाकर गवाहान व परिवादी को समझाईश की गई।

उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट तथा दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 12.20 पीएम पर डिजीटल वाईस रिकोर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर मैमोरी कार्ड का खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकोर्डर संचालन की विधि समझा कर आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकोर्डर सुपुर्द करते हुए श्री कन्हैयालाल कानि को हिदायत दी गई कि महिला पुलिस थाना बीकानेर से थोडा पहले सुरक्षित स्थान पर परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर चालुकर पुनः सुपुर्द कर रिश्वती राशि लेन-देन हेतु पुलिस थाना महिला बीकानेर की तरफ रवाना करने की आवश्यक हिदायत कर परिवादी इरफान पंवार व श्री कन्हैयालाल कानि. को अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से महिला पुलिस थाना बीकानेर की तरफ रवाना किया तथा उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक पिंकी गंगवाल, स्वतंत्र गवाह, ब्यूरो स्टाफ मय सरकारी लैपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स व आवश्यक ट्रेप सामग्री के निजी गाडी व मोटरसाईकिलों से महिला थाना पुलिस की तरफ रवाना होकर पुलिस थाना महिला बीकानेर के नजदीक पहुंचकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए गोपनीय ईशारे के इंतजार में रहे। दिनांक 21.03.2024 को वक्त 12.58 पीएम पर परिवादी श्री इरफान पंवार ने अपने मोबाईल नम्बर 9928420318 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7725922388 पर मिसकोल कर रिश्वत राशि लेन देन होने का ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय प्राईवेट वाहनो के पुलिस थाना महिला बीकानेर पहुची। थाने परिसर में प्रवेश करते ही स्वागत कक्ष के बाहर परिवादी श्री इरफान खडा मिला, जिसने स्वागत कक्ष की तरफ ईशारा कर बताया कि अनिता मैडम इस कमरे में है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को साथ लेकर पुलिस थाना महिला के गेट के पास बने स्वागत कक्ष में पहुंची, तो कमरे में एक टेबल के पास रखी कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई मिली। परिवादी श्री इरफान से डिजिटल टेप रिकोर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री इरफान ने बताया कि रिश्वत राशि इसी अनिता मैडम ने मेरे से थाने के पीछे बने कमरे में रखवाये है। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त महिला व हमराहियान का परिचय देते हुए आने का मकसद बताते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अनिता पत्नी श्री रामचन्द्र विश्नोई, उम्र 32 वर्ष, निवासी गांव कूदसू, तहसील नोखा, जिला बीकानेर पुलिस थाना पांचू वर्तमान निवासी क्वार्टर नंबर वाई-296, पुलिस कोलोनी करणी नगर बीकानेर हाल महिला कानिस्टेबल नंबर 1602, पुलिस थाना महिला, बीकानेर होना बताया। श्रीमति अनिता से परिवादी श्री इरफान से रिश्वत राशि किस बाबत ली गई है का पूछने पर श्रीमति अनिता ने कहा कि मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिये है और ना ही मेरी इससे कभी कोई बातचीत हुई है। मौके पर मौजूदा परिवादी श्री इरफान ने स्वतः ही बताया कि साहब अनिता जी ने मुझसे थाने के पीछे बने कमरे में ले जाकर रिश्वत राशि टेबल की दराज में रखवायी है। जिस पर अनिता महिला कानिस्टेबल का दांया व बांया हाथ हमराही महिला कानिस्टेबल श्रीमती रामेश्वरी बेल्ट नंबर 27 व विमला बेल्ट नंबर 229 से पकड़वाये जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाह, परिवादी व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर परिवादी के बताये अनुसार थाना भवन के पीछे बने कमरे पर पहुंचे तो कमरे के ताला लगा हुआ मिला। श्रीमति अनिता महिला कास्टिेबल से उक्त कमरे की चाबी के संबंध में पूछा तो उसने अनभिज्ञता जताई। जिस पर थानाधिकारी श्रीमती राजेश पुलिस निरीक्षक को मौके पर तलब कर कमरे का ताला खुलवाने के बारे में कहा गया, तो श्रीमती राजेश पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना महिला, बीकानेर ने बताया कि इस कमरे में श्रीमति संध्या उप निरीक्षक पुलिस अनुसंधान कार्य करती हैं, जो अभी ड्यूटी में बाहर गई हैं, चाबी उनके पास ही है, मैं मंगवाती हूं। मौके पर मौजूद परिवादी श्री इरफान ने बताया कि साहब चाबी अनिता जी के पास ही है, ये अभी ताला लगाकर चाबी अपने साथ ही लेकर गयी हैं। जिस पर पुनः तसल्ली देकर अनिता महिला कानिस्टेबल से कमरे की चाबी के बारे में पूछने पर बताया कि मेरे पास चाबी नहीं है। उक्त कमरे की निगरानी हेतु श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल व स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार मूंड को छोड़कर मन पुलिस निरीक्षक आरोपीया श्रीमति अनिता, श्रीमति राजेश पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी मय स्वतंत्र गवाह श्री बीरबलराम व शेष ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर स्वागत कक्ष में पहुंची, जहां अनिता की कार्य करने की टेबल के ऊपर एक चाबी रखी हुई दिखाई दी, जिसके बारे में पूछने पर अनिता ने कोई जबाब नहीं दिया। मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान के उक्त चाबी साथ लेकर थाना परिसर के पीछे बने कक्ष पर पहुंची, जहां श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल व श्री मनोज कुमार गवाह उपस्थित मिले। चाबी गवाह श्री बीरबलराम को दी जाकर उक्त कक्ष का ताला खुलवाकर अंदर प्रवेश हुए। कमरे में प्रवेश होते ही दाहिनी तरफ दो टेबल व कुर्सी लगी हुई पाई गई। कमरे में रखी एक टेबल जिस पर लाल कपड़ा लगा हुआ, उक्त टेबल पर लैपटाॅप, प्रिंटर व अनुसंधान पत्रावलियां रखी हुई हैं। पास लगी दूसरी टेबल की तरफ ईशारा कर परिवादी श्री इरफान ने बताया कि साहब इसी टेबल की ऊपरी दराज में ही अनिता जी ने मेरे से 20 हजार रूपये रिश्वत राशि रखवाई थी। आरोपीया श्रीमति अनिता को तसल्ली देकर परिवादी श्री इरफान से रिश्वत राशि लेने के संबंध में पुछा तो अनिता ने पुनः कहा कि मैंने इससे कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है, यह थाने के प्रकरण में आरोपी है, इसकी पत्नी का नाम सुमन है, जिसने इसके परिवारजनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवा रखा है, मुकदमे की फाईल थानाधिकारी श्रीमति राजेश पुलिस निरीक्षक के पास है, मैं थानाधिकारी की रीडर के रूप में काम करती हूं। उक्त प्रकरण में मैंने इरफान से पूछताछ की थी। मौके पर मौजूदा परिवादी श्री इरफान ने स्वतः ही बताया कि साहब मैं जब थाने में आया तो थाने के स्वागत कक्ष में मुझे अनिता जी मिली थी जिन्होने मेरे से मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण के संबंध में बातचीत कर मुझे कहा कि पीछे स्थित थाने के बने

कमरे पर आओ फिर मैं अनिताजी के कहेनुसार थाने के पीछे बने कमरे के सामने जाकर खडा हो गया। कमरे के ताला लगा हुआ था कुछ समय बाद अनिता मैडम आई तथा अपने साथ में लाई चाबी से कमरा खोल कर कमरे में स्थित कुर्सी पर बैठ कर मेरे से रिश्वत राशि के संबंध में बातचीत की। बातचीत के दौरान अनिता मैडम के कहे अनुसार अनिताजी के कहने पर मैंने 20 हजार रूपये इस टेबल की दराज में रख दिये। फिर अनिता जी ने मेरे से कहा कि फाईल खर्चे के दो हजार रूपये और दो, तब मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं हैं, एक-दो दिन में दे दूंगा। बाद में इन्होंनें कमरे के ताला लगा दिया और चाबी अपने साथ लेकर स्वागत कक्ष में आकर बैठ गई। तत्पश्चात मैंने अपने मोबाईल नंबर 9928420318 से आपके मोबाईल नम्बर 7725922388 पर मिसकोल कर रिश्वत लेन-देन का ईशारा कर दिया। गवाह श्री बीरबलराम से उक्त टेबल की ऊपरी दराज को खुलवाया गया तो दराज में 500-500 रूपये के नोटों की थेई दिखाई दी, जो श्री बीरबलराम से उठवाकर गिनवाई गई, तो गवाह ने नोटों को गिनकर 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20000-रूपये होना बताये। दोनों गवाहान से पूर्व से बनी फर्द पेशकशी से नोटों के नंबरों का मिलान करवाया गया जो गवाहान ने नोटों के नंबर फर्द पेशकशी से मिलान होना पाये गये। नोटों का विवरण निम्न प्रकार हैं- 1 एक नोट पांच सौ रूपये का 1EF 859612 एक नोट पांच सौ रूपये का 3TP 091919 एक नोट पांच सौ रूपये का 1GM 280135 एक नोट पांच सौ रूपये का 1TP 368524 एक नोट पांच सौ रूपये का 3NQ 654840 एक नोट पांच सौ रूपये का 2NC 582840 एक नोट पांच सौ रूपये का 9ME 794979 एक नोट पांच सौ रूपये का 9LT 165791 एक नोट पांच सौ रूपये का 0HV 790548 एक नोट पांच सौ रूपये का 3FV 422044 एक नोट पांच सौ रूपये का 2MS 033263 एक नोट पांच सौ रूपये का 3ED 939520 एक नोट पांच सौ रूपये का 7LB 669162 एक नोट पांच सौ रूपये का 7DR 213718 एक नोट पांच सौ रूपये का 6TN 024104 एक नोट पांच सौ रूपये का 0AW 524725 एक नोट पांच सौ रूपये का 0PS 382736 एक नोट पांच सौ रूपये का 9MP 681291 एक नोट पांच सौ रूपये का 9MF 929406 एक नोट पांच सौ रूपये का 3ET 574065 एक नोट पांच सौ रूपये का 4SF 513238 एक नोट पांच सौ रूपये का 3EK 073894 एक नोट पांच सौ रूपये का 2NF 772055 एक नोट पांच सौ रूपये का 2WQ 109090 एक नोट पांच सौ रूपये का 0KK 829618 एक नोट पांच सौ रूपये का 2HW 192809 एक नोट पांच सौ रूपये का 0NQ 614433 एक नोट पांच सौ रूपये का 4LM 742137 एक नोट पांच सौ रूपये का 8FE 059305 एक नोट पांच सौ रूपये का 7KQ 724548 एक नोट पांच सौ रूपये का 3TK 203233 एक नोट पांच सौ रूपये का 2FF 312922 एक नोट पांच सौ रूपये का 8QT 212280 एक नोट पांच सौ रूपये का 6KS 731582 एक नोट पांच सौ रूपये का 3LB 429095 एक नोट पांच सौ रूपये का 0VS 760799 एक नोट पांच सौ रूपये का 3KV 681233 एक नोट पांच सौ रूपये का 0RL 386725 एक नोट पांच सौ रूपये का 7PW 008813 एक नोट पांच सौ रूपये का 3SN 653185 उक्त नोटों को एक सफेद कपड़े के साथ सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। रिश्वत राशि लेन-देन की ताईद होने से ट्रेप बोक्स मंगवाया जाकर एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। एक सफेद कपड़े की चिन्दी को उक्त गिलास के घोल में डूबोकर टेबल की दराज में जिस स्थान से रिश्वती राशि मिली उस स्थान पर उक्त चिंदी को रगड़-रगड़ कर चिन्दी को गिलास में 5-6 बार डूबोकर धोवन लिया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। हाजरीन ने धोवन गुलाबी होने की ताईद की। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क टी-1 व टी-2 अंकित कर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन कार्यवाही में प्रयुक्त की गई सफेद कपडे की चिन्दी को सुखाकर चिन्दी पर सम्बन्धि ों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि परिवादी के कथनानुसार आरोपीया श्रीमती अनिता द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में नही ली जाकर उसे सीधे ही टेबल की दराज में रखवाया गया है तथा रिश्वती राशि मौके पर टेबल की दराज से ही बरामद हुई है, ऐसी स्थिति आरोपीया श्रीमती अनिता के हाथो की अंगुलियों का धोवन लिये जाने का कोई औचित्य नही है। लिहाजा आरोपिया के हाथो की अंगुलियो का धोवन नही लिये जाने का निर्णय लेकर आरोपीया श्रीमति अनिता महिला कानिस्टेबल से परिवादी श्री इरफान से संबंधित प्रकरण की पत्रावली के संबंध में पूछा गया तो श्रीमति अनिता ने बताया कि साहब मुकदमें की फाईल एसएचओ मैडम के पास है। जिस पर मौजूदा थानाधिकारी श्रीमति राजेश पुलिस निरीक्षक से प्रकरण की पत्रावली के संबंध में पूछने पर थानाधिकारी श्रीमति राजेश ने बताया कि प्रकरण संख्या 44/2024 की पत्रावली में अनुसंधान पूर्ण कर संवीक्षा राय प्राप्त करने हेतु एपीपी कार्यालय में श्री लक्ष्मण कानिस्टेबल के साथ भिजवाई गई है। उक्त प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया है, दौराने अनुसंधान प्रकरण में पीड़िता सुमन के धारा 164 के बयान करवाने से पूर्व से प्रकरण की पत्रावली में अनुसंधान कार्य में सहयोग मेरे मौखिक निर्देशानुसार बतौर रीडर श्रीमति अनिता महिला कानिस्टेबल द्वारा किया जा रहा था। जिस पर आरोपीया श्रीमति अनिता महिला कानिस्टेबल से प्रकरण में रिश्वत लेने के संबंध में थानाधिकारी को जानकारी होने के संबंध में पूछा तो अनिता ने बताया कि मेरी थानाधिकारी श्रीमति राजेश से इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही इनको कोई जानकारी है। परिवादी के लंबित कार्य से संबंधित प्रकरण संख्या 44/2024 की मूल अनुसंधान पत्रावली जो संवीक्षा हेतु भिजवाई गई है। उक्त पत्रावली प्रकरण से वांछित महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पेश करने की हिदायत दी गई तो थानाधिकारी श्रीमति राजेश ने बताया कि उक्त प्रकरण की पत्रावली थाने

के कोर्ट पैरोकार श्री लक्ष्मण कानिस्टेबल से सम्पर्क करके प्राप्त की जा सकती है, जिस पर उक्त प्रकरण की पत्रावली मंगवाने हेतु श्री लक्ष्मण कानिस्टेबल से सम्पर्क कर कोर्ट पैरोकार/एपीपी से प्राप्त करने हेतु कार्यालय हाजा के श्री अशोक कुमार सहायक उप निरीक्षक, ब्यूरो चैकी एसयू बीकानेर को जरिए दूरभाष निर्देशित किया गया। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान श्री अशोक कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस उक्त प्रकरण संख्या 44/2024 की पत्रावली सहित उपस्थित आया तथा बताया कि उक्त प्रकरण की पत्रावली श्री लक्ष्मण कानिस्टेबल कोर्ट पैरोकार ने मुझे दी है, जो मैं लेकर आया हूं। प्रकरण सं0 44/2024 की सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्रीमति राजेश पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, महिला पुलिस थाना, बीकानेर को सुपुर्द कर श्रीमती राजेश थानाधिकारी को उक्त सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। दौराने कार्यवाही श्री लक्ष्मणराम कानिस्टेबल नंबर 810 कोर्ट पैरोकार उपस्थित आया, जिससे प्रकरण संख्या 44/2024 की पत्रावली के संबंध में पूछा गया तो बताया कि साहब उक्त पत्रावली मैं थाने की डाक में रखी होने से कल दिनांक 20.03.2024 को ब्रीफ बनवाने हेतु लेकर गया था, जो मैंने एपीपी को वास्ते ब्रीफ दे दी थी, जो आज मैंने एपीपी महोदय से वापस प्राप्त कर ब्यूरो के श्री अशोक कुमार सहायक उपनिरीक्षक को सुपुर्द की थी। रिश्वति राशि बरामदगी एवं बरामदगी स्थल की धोवन कार्यवाही की फर्द अलग से मुर्तिब की जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर घटना स्थल का नक्षा मौका तैयार कर शामिल कागजात किया गया। दिनांक 21.03.2024 को वक्त 04.50 पीएम पर परिवादी श्री इरफान पंवार व अनिता महिला कानि के मध्य दिनांक 21.03.2024 को रिष्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता को रूबरू दोनो गवाहान, परिवादी श्री इरफान पंवार व श्री कन्हैयालाल कानि के समक्ष कार्यालय के लैपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि वक्त लेनदेन वार्ता तैयार करवाई गई। वार्ता को सुनने से आरोपीया द्वारा परिवादी श्री इरफान पंवार से रिश्वती राशि के बारे में पूछा की 'किता है जिस पर परिवादी ने कहा कि बीस हजार रू है, जिस पर आरोपिया द्वारा हामी भरी गई। डिजीटल वाईस रिकोर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के दो पेन ड्राईव लेपटोप के माध्यम से तैयार किये गये। दोनों पेन ड्राईव मे से एक पेन ड्राईव को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये व एक पेन ड्राईव को अन्वेष्णार्थ खुला रखा गया । उक्त डिजिटल वाईस रिकोर्डर में स्थापित मूल मैमोरी कार्ड को निकाल कर उसको सैफ्टी कवर में डालकर सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलमोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात प्रकरण हाजा में वांछित परिवादी श्री इरफान पंवार के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 44/2024 की अनुसंधान पत्रावली एवं महिला थाना बीकानेर के वर्ष 2024 के डिस्पेच रजिस्टर दिनांक 04.02.2024 से दिनांक 21.03.24 तक की प्रमाणित प्रतिया जरिये फर्द जप्ती कब्जा एसीबी ली गई। फर्द नमूना पीतल की सील नम्बर 33 तैयार कर सम्बन्धित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की। आरोपिया श्रीमती अनिता महिला कानि. नम्बर 1602 पुलिस थाना महिला बीकानेर को विधिवत रूप से जरिये फर्द दिनांक 21.03.2024 को वक्त 6.30 पी.एम. पर गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही में माल वजह सबूत सीलचिट करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील को अनुपयोगी किया जाकर फर्द नष्टीकरण पीतल की सील नम्बर 33 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 21.03.2024 को वक्त 07.12 पीएम पर परिवादी व दोनो गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में पहुचने की हिदायत कर बाद मौके की कार्यवाही के मन निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो स्टाफ, गिरफ्तारषुदा आरोपिया अनिता, प्रकरण में जब्त माल वजह सबूत, ट्रेप बोक्स, लेपटोप, प्रिन्टर वगैरा लेकर पुलिस थाना महिला बीकानेर से निजी व सरकारी वाहनों से रवाना होकर पीबीएम बीकानेर पहुच आरोपिया श्रीमती अनिता का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। तत्पश्चात रवाना होकर पुलिस थाना सदर पहुच आरोपिया श्रीमती अनिता को सुरक्षित हवालात में जमा करवाकर कर कार्यालय हाजा में उपस्थित आयी। दोनो गवाहन श्री बीरबलराम, श्री मनोज कुमार मूण्ड व परिवादी इरफान पंवार को बाद ट्रेप कार्यवाही रूखस्त किया। प्रकरण से संबंधित प्रादर्श शिल्ड शुदा रिश्वती राशि 20000 रू, टेबल की दराज के धोवन की शिल्ड शुदा दो शिशिया, धोवन लेने में प्रयुक्त कपडे की चिंदी की शिल्ड पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का शिल्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड शुदा पेन ड्राईव व अन्वेष्णार्थ खुला पेन ड्राईव कुल तीन नग, रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता का शिल्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड शुदा पेन ड्राईव व अन्वेष्णार्थ खुला पेन ड्राईव कुल तीन नग इत्यादी कार्यालय हाजा के मालाखाना प्रभारी श्री अशोक कुमार एएसआई को सुपुर्दकर जमा मालाखाना करवाया गया। दिनांक 22.03.2024 को आरोपिया श्रीमती अनिता महिला कानि को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्रदान किये गये, जिस पर आरोपिया श्रीमती अनिता महिला कानि.1602 को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई। अब तक के घटना क्रम से यह निष्कर्ष पाया गया कि परिवादी श्री इरफान पंवार के विरूद्ध उसकी पत्नी श्रीमती सुमन द्वारा प्रकरण संख्या 44/2024 दर्ज करवा रखा है। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी श्रीमती राजेश पुलिस निरीक्षक है। इस प्रकरण में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान आरोपिता श्रीमती अनिता महिला कानिस्टेबल नंबर 1602, पुलिस थाना महिला, बीकानेर द्वारा थानाधिकारी के रीडर का कार्य किया जा रहा था, जिसके द्वारा दिनांक 19.03.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी श्री इरफान से प्रकरण में परिवादी के अलावा परिवादी के परिवारजनों का नाम

निकालने की एवज में 20,000-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर वक्त ट्रेप 20,000-रूपये रिश्वत राशि थाने के पीछे बने कमरे में रखी टेबल की ऊपरी दराज में रखवाये जाकर प्राप्त किये जाने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपिया श्रीमती अनिता बिश्नोई पुत्री श्री ओमप्रकाश बिश्नोई पत्नी श्री रामचन्द्र विश्नोई, उम्र 32 वर्ष, निवासी गांव कूदसू, तहसील नोखा, जिला बीकानेर पुलिस थाना पांचू वर्तमान निवासी क्वार्टर नंबर वाई-296, पुलिस कोलोनी करणी नगर बीकानेर हाल महिला कानिस्टेबल नंबर 1602, पुलिस थाना महिला, बीकानेर के विरूद्ध प्रथम सूचना तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेषक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (पिंकी गंगवाल) पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो (एसयू), बीकानेर.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,(एस.यू.) बीकानेर के माध्यम से श्रीमती पिंकी गंगावाल, पुलिस निरीक्षक ने जरिये ई–मेल प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती अनिता विश्नोई पुत्री श्री ओमप्रकाश विश्नोई, निवासी निम्बडीयासर पोस्ट हिम्मटसर पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर, हाल महिला कानिस्टेबल नम्बर 1602, पुलिस थाना महिला, बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 47/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 243 पर अंकित है।(रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 224-27 दिनांक 22.3.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2.पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर।3.उप महानिरीक्षक पुलिस,भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,(एस.यू,) बीकानेर।उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Anand Mishra **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/03/2024 20:29:52

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	13/10/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)